



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 01/05/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

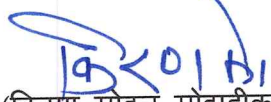
विषय: दिनांक 28/04/2025 को अपराह्न 02:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 28/04/2025 को अपराह्न 02:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

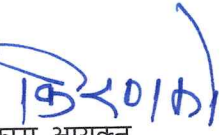

(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 28/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 28/04/2025 को दोपहर 02:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 15/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 15/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 15/04/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) अमीगा इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि (डीसीपी) को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध।



इकाई के निदेशक श्री धनंजय प्रताप सिंह वर्चुअली बैठक में शामिल हुए और उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि (डीसीपी) को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया। हालांकि, वे अनुमोदन समिति द्वारा इकाई द्वारा 17/01/2025 के पहले चालान के तहत प्रदान की गई सेवाओं और इकाई को जारी किए गए स्वीकृति पत्र (LOA) के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य प्रासंगिक प्रश्नों के बारे में पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

2.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निम्नलिखित दस्तावेज/सूचनाएं यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:-

i. स्वीकृति पत्र (LOA) वैधता में अंतिम विस्तार के समय प्रस्तुत 0.64 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए व्यवसाय योजना को लागू न करने के कारण और स्वीकृति पत्र (LOA) के अंतिम विस्तार के अनुदान के बाद 10 दिनों / एक महीने के भीतर इकाई के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सामान की खरीद न करने के कारण, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20/08/2024 के माध्यम से इकाई को बताए गए।

ii. निर्यात चालान दिनांक 17/01/2025 में उल्लिखित 'जेनेसिस इंडिया बिजनेस' को प्रदान की गई सेवाओं की वास्तविक प्रकृति क्या है।

iii. डीसीपी के समय इकाई की कर्मचारी संख्या कितनी थी।

2.3. अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को इकाई से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर विकास आयुक्त के अनुमोदन से फाइल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया।

(3) कर्ण कुसुमा एंटरप्राइजेज एलएलपी- स्वीकृति पत्र (LOA) विस्तार का अनुसमर्थन

3.1. इकाई के साझेदार श्री समीर खोसला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा मामले की जानकारी दी।

3.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) की शर्तों और नियमों की स्वीकृति प्रस्तुत करने में देरी के लिए क्षमा करने और इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को 20.04.2025 तक बढ़ाने के लिए फाइल पर विकास आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की, जिसे दिनांक 09/04/2025 के पत्र के माध्यम से इकाई को सूचित किया गया।

(4) सेनित आईएनसी - एक बार निर्यात के लिए अनुमति का अनुसमर्थन।

4.1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 28/02/2025 के पत्र के माध्यम से जारी एक बार निर्यात के लिए विकास आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति की पुष्टि की। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को अधिकृत संचालन के समेकित विवरण के

20/01/25

साथ-साथ अद्यतन आईटीसी एचएस कोड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जैसा कि विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय से समय-समय पर पहले ही अनुरोध किया गया है।

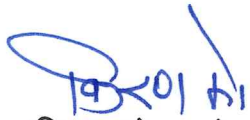
(5) डिजिफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड - परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण के संबंध में मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल को जारी दिनांक 10.03.2025 के पत्र का अनुसमर्थन।

5.1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स डिजिफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड के दिनांक 05/01/1989 के स्वीकृति पत्र (LOA) से संबंधित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण के लिए दिनांक 10/03/2025 के पत्र द्वारा जारी पत्र का अनुसमर्थन किया, जो मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल के दिनांक 22/05/2013 के स्वीकृति पत्र (LOA) के पक्ष में है।

(6) सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड- घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में अप्रयुक्त आयातित माल को हटाने के लिए एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन।

6.1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, डी.टी.ए. में अप्रयुक्त आयातित माल को हटाने के लिए पत्र दिनांक 21.02.2025 के तहत दी गई एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन किया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त